

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल


::आदेश::

भोपाल, दिनांक 28.11.2021

क्रमांक एफ 44-4/2020/20-2:: राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. प्रदेश के समस्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी।
2. विद्यालयों में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में डिजिटल माध्यम से ऑन-लाईन कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।
3. समस्त विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संचालित होंगी।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.2021 द्वारा जारी शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


28.11.21

(के.के. द्विवेदी)
उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 44-4/2020/20-2
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28.11.2021

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
2. विशेष सहायक, मान. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. आयुक्त, लोक शिक्षण/ आदिवासी विकास, म.प्र. भोपाल

6. आयुक्त, जनसंपर्क म.प्र. भोपाल
7. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल
8. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल
9. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल
10. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
11. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
13. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, म.प्र. भोपाल
14. संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त शिक्षा परिषद, भोपाल
15. सचिव, मदरसा बोर्ड, म.प्र. भोपाल
16. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18. आर्डर बुक

Prakash
28.11.21

उप सचिव

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग